कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 1974 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून,मार्च 27, 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ।

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी में बिनगदेरा मल्ला मोटर मार्ग लम्बाई (2.075 कि0मी0)**
सन्दर्भः– **आपका पत्रांक 1842 / 12–1 दिनांक 19–3–2015 (FP/UK/ ROAD/ 9620 / 2015)**

महोदय,

अपने कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपके द्वारा विषयाकिंत प्रस्ताव ऑन लाईन अपलोड करते हुए उक्त प्रस्ताव की मूल हार्ड प्रति व प्रस्तावक विभाग के स्तर से ऑन लाईन अपलोड किये गये प्रस्ताव की सी0डी0 उपलब्ध कराये बगैर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना प्रेषित की गई है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है।

आपके स्तर से प्रेषित भाग–2 प्रपत्र में निर्धारित कॉलमों में वांछित सूचना न देकर सूचना "संलग्न है" अथवा " हॅा" "नही" में सूचना हाथ से अंकित की गई है, जो मान्य नहीं है। इस संबंध में निर्धारित कॉलमों में वांछित सूचना सही–सही टंकित करते हुए दी जाय । निर्धारित कॉलमों में सूचना भूमि की विधिक स्थिति के अनुसार जैसे आरक्षित वन भूमि, सिविल भूमि, निजी भूमि आदि भूमि में बाधित वृक्षों की संख्या, वन भूमि की स्थलीय भौगोलिक स्थिति, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थलीय सूचना, क्षेत्रफल परियोजना के इर्द–गिर्द खाली स्थलों में किया जाने वाला क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रति कि0मी0 के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के संबंध में प्रांकलन की धनराशि सहित उल्लेख किया जाय। आप निर्धारित कॉलमों में स्पष्ट रूप से सूचना देना सुनश्चित करें। भाग–2 प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी का नाम पदनाम समूहर हस्ताक्षर दिनांक अंकित किया जाय।

ऑन लाईन प्रस्तावों को सर्व प्रथम प्रस्तावक विभाग के द्वारा अपलोड किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में ऑन लाईन किये गये प्रस्तावों के पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा स्थलीय निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रपत्र जो अंग्रेजी में है के अनुसार यथास्थिति पर अभिमत सहित पी0डी0एफ0 फायल में अपलोड करते हुए स्थल की इमेज भी दी जानी है।

इस कार्यालय के पत्रांक 1923 / 12–1 (1) दिनांक 23–3–2015 द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित मोटर मार्गों के प्रस्तावों का ऑन लाईन किय जाने के संबंध में दिये गये निर्देशों का अक्षरसः अनुपालन करते हुए कार्यवाही की जाय। आप प्रस्तावक विभाग से प्रस्ताव की हार्ड प्रति (मूल प्रति) जिसमें मानचित्र,बार चार्ट संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट बाधित वृक्षों की संख्या अन्य विभागीय वांछित दस्तावेज समग्र रूप से मूल में हो, की प्रति तथा प्रस्तावक विभाग द्वारा अपलोड किये गये प्रस्ताव की सी0डी0 अपने माध्यम से विशेष वाहक द्वारा अपलोड के दूसरे दिन कार्यालय पत्र जारी करते हुए तथा उक्त प्रस्ताव को निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार चैक कर करने विषयक सूचना के साथ भेजें। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आधे–अधूरे प्रस्ताव न भेजे जायें।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।